राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट– टोपरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 184 सन 2018

अनवान :–

1. लाधुराम पुत्र हंसराम जाति मेधवंशी निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रेशमा 2 सुखी 3 गुडडी पुत्रीया हंसराम जाति मेधवंशी निवासी जसाना तहसील नोहर।

4 रामेश्वरी देवी 5 बीरपालकोर 6 रानीदेवी 7 महेन्द्र कुमार 8 प्रमोद कुमार पुत्र/पुत्रीयान विधादेवी पुत्री हंसराम जाति मेधवंशी साकिन जसाना तहसील नोहर।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

अर्जीदावा इश्तकरार हक स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री राजकुमार बेनीवाल अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 3/5/2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") के निवेदन पर पेश हुआ वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्व लोक अदालत " (न्याय आपके द्वार – 2018") के निवेदन पर पेश हुआ संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 575/553 के प0न0 312/408(161) किला न0 10/0.253 ,11/0.253 प0न0 311/408(162) किला न0 0 की 0.0510हैक गै0मु0 रास्ता , किला न0 6/0.227 ,7/0.253 ,8/2 की 0.0126हैक ,14/0.253 ,15/0.228 कुल 8 किता की 1. 6440हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी के दादा धोकल की मृत्यू के वाद हिन्दु कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि अकेले हंसराम के नाम से दर्ज हुई है हंसराम भी फोत हो चुका है उसकी लडकी विधादेवी भी फोत हो चुकी है इसलिये अब उक्त भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5– 1/5 हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का सयुक्त तौर से 1/5 हिस्सा के हकदार है ।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 वादी की बहने है तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 वादी की बहन विधादेवी के वारिस है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये अब वाद भूमि का वाद अकेला खातेदार काश्तकार है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए निवेदन किया की वाद भूमि वादी के दादा धोकल के देहान्त होने पर हंसराम के नाम से दर्ज हुई थी हंसराम का देहान्त हो गया है जिसके वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

हमने वकील वादी की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि हसंराम पुत्र धोकलराम के नाम से दर्ज है हसंराम पुत्र धोकलराम का देहान्त हो गया है जिसके जायज व कानूनी वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 , विधादेवी पुत्री है विधादेवी पुत्री हसंराम का देहान्त हो गया है जिसे जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 है जो प्रस्तूत मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है हसराम के नाम से दर्ज भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 जो वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 जो वादी की बहन विधादेवी के वारिस है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का

त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है उन्हाने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि का वाद अकेला हकदार है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा स्वीकार कर लिया है वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के द्वारा स्वीकार करने के कारण वाद वादी काबिज डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टॉम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतों /प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 575/553 की कुल 1.6440हैक भूमि जो हंसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है हसंराम का नाम कलमजन किया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– अखेर रूप्ये पांच सौ का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–टोपरिया

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

राजस्व लोक अदालत (न्याय आपके द्वार –2018) कैम्प कोर्ट–टोपरिया

न्याायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सैयद शीराज अली जैदी (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. लाधुराम पुत्र हंसराम जाति मेधवंशी निवासी जसाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 रेशमा 2 सुखी 3 गुडडी पुत्रीया हंसराम जाति मेधवंशी निवासी जसाना तहसील नोहर।

4 रामेश्वरी देवी 5 बीरपालकोर 6 रानीदेवी 7 महेन्द्र कुमार 8 प्रमोद कुमार पुत्र/पुत्रीयान विधादेवी पुत्री हंसराम जाति मेधवंशी साकिन जसाना तहसील नोहर।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 184 सन 2018 निर्णय दिनांक 3.5.18

आज यह वाद राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में मुझ सैयद शीराज अली जैदी उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो /आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 बारानी के खाता संख्या 575/553 की कुल 1.6440हैक्ट भूमि जो हंसराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का वादी अकेला खातेदार काश्तकार है हसंराम का नाम कलमजन किया जाता है । इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 500/– अखेर रूप्ये पांच सौ रूप्ये का स्टॉम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 03.05.2018 को मेरे द्वारा राजस्व लोक अदालत " न्याय आपके द्वार – 2018 में लिखाया जाकर मजमें आम में सुनाया गया ।

शिविर प्रभारी
राजस्व लोक दालत–2018
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
कैम्प कोट–टोपरिया